<u>कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर</u>

क्रमांकः एफ.12(136) आयो/आकाशि/कम्प्यू. इन्फ्रा/10–11/3546-50 दिनांकः 12 मई, 2010

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय : **नेशनल मिशन फोर एजुकेशन थ्रू आई सी टी** के तहत ब्रॉडबैन्ड कनेक्शन

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मिशन–**नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू आई.सी.टी. प्रारम्भ** किया गया है जिसका उद्देश्य शोध को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संयोजकता (कनेक्टिविटी) एवं नॉलेज नेटवर्क का निर्माण करना है। मिशन के माध्यम से शिक्षकों के सशक्तिकरण हेतु अंकीय साक्षरता के प्रसार करने, नॉलेज मॉड्यूलों का विकास करने तथा अधिगमकर्त्ताओं की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत देश के 20,000 उच्च शिक्षण संस्थानों को 20 लाइनों तक के ब्रॉडबैन्ड कनेक्शन तथा 419 विश्वविद्यालयों को नेशनल नॉलेज नेटवर्क से 1 Gbps के लिंक उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। योजना बहुवर्षीय है तथा इसके प्रथम वर्ष में महाविद्यालयों को 10 लाइनों तक के ब्रॉडबैन्ड कनेक्शन (512Kbps) उपलब्ध करवाए जाने हैं । केन्द्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के तहत महाविद्यालयों को कुल देय शुल्क की मात्र 25 प्रतिशत राशि का ही वहन करना होगा तथा शेष राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। महाविद्यालय के पास 10 से कम लाइनें होने पर बी.एस.एन.एल. द्वारा निशुल्क कॉपर लाइन उपलब्ध करवाई जा सकतीं हैं जिन पर फोन उपकरण व इनकमिंग की सुविधा नहीं होगी। योजना का विस्तृत विवरण मिशन की वेबसाइट (http://www.sakshat.ac.in) या बी.एस.एन.एल. कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे योजना में सक्रीय सहभागिता करेंगे तथा विद्यार्थी हित में योजना का अधिकतम लाभ उठाएंगे। सित. 2004 में छात्रनिधि कोष के नियमों में किए गए संशोधन (बिन्दु 4(3)(h)(i)) के क्रम में योजना के 25 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करने के लिए छात्र कोष (बॉयज फन्ड) की राशि का उपयोग भी किया जा सकता है। इस राष्ट्रीय मिशन में सहभागिता करने हेतु महाविद्यालय स्थानीय बी.एस.एन.एल. कार्यालय से सम्पर्क करें तथा ब्रॉडबैन्ड कनेक्टविटी का लाभ विद्यार्थियों व शिक्षकों के अकादमिक उन्नयन व महाविद्यालय के प्रभावी प्रबन्धन के लिए किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त

क्रमांकःएफ ( ) आयो/आकाशि/10–11 / दिनांकः मई, 2010

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, सचिवालय,जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर
3 उप शासन सचिव, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
4 डी.जी.एम., बी.एस.एन.एल., जयपुर
5 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
(आयोजना एवं समन्वय)

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ.12(136) आयो/आकाशि/कम्प्यू. इन्फ्रा/10–11/ दिनांकः मई, 2010

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय : **नेशनल मिशन फोर एजुकेशन थ्रू आई सी टी** के तहत ब्रॉडबैन्ड कनेक्शन

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मिशन–**नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन थ्रू आई.सी.टी. प्रारम्भ** किया गया है जिसका उद्देश्य शोध को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संयोजकता (कनेक्टिविटी) एवं नॉलेज नेटवर्क का निर्माण करना है। मिशन के माध्यम से शिक्षकों के सशक्तिकरण हेतु अंकीय साक्षरता के प्रसार करने, नॉलेज मॉड्यूलों का विकास करने तथा अधिगमकर्त्ताओं की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत देश के 20,000 उच्च शिक्षण संस्थानों को 20 लाइनों तक के ब्रॉडबैन्ड कनेक्शन तथा 419 विश्वविद्यालयों को नेशनल नॉलेज नेटवर्क से 1 Gbps के लिंक उपलब्ध करवाए जाने की योजना है। योजना बहुवर्षीय है तथा इसके प्रथम वर्ष में महाविद्यालयों को 10 लाइनों तक के ब्रॉडबैन्ड कनेक्शन (512Kbps) उपलब्ध करवाए जाने हैं । केन्द्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के तहत महाविद्यालयों को कुल देय शुल्क की मात्र 25 प्रतिशत राशि का ही वहन करना होगा तथा शेष राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। महाविद्यालय के पास 10 से कम लाइनें होने पर बी.एस.एन.एल. द्वारा निशुल्क कॉपर लाइन उपलब्ध करवाई जा सकतीं हैं जिन पर फोन उपकरण व इनकमिंग की सुविधा नहीं होगी। योजना का विस्तृत विवरण मिशन की वेबसाइट (http://www.sakshat.ac.in) या बी.एस.एन.एल. कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे योजना में सक्रीय सहभागिता करेंगे तथा विद्यार्थी हित में योजना का अधिकतम लाभ उठाएंगे। सित. 2004 में छात्रनिधि कोष के नियमों में किए गए संशोधन (बिन्दु 4(3)(h)(i)) के क्रम में योजना के 25 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करने के लिए छात्र कोष (बॉयज फन्ड) की राशि का उपयोग भी किया जा सकता है। इस राष्ट्रीय मिशन में सहभागिता करने हेतु महाविद्यालय स्थानीय बी.एस.एन.एल. कार्यालय से सम्पर्क करें तथा ब्रॉडबैन्ड कनेक्टविटी का लाभ विद्यार्थियों व शिक्षकों के अकादमिक उन्नयन व महाविद्यालय के प्रभावी प्रबन्धन के लिए किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त

क्रमांकःएफ 12(136) आयो/आकाशि/10–11 /3546-50 दिनांकः 13मई, 2010

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, सचिवालय,जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय, जयपुर
3. उप शासन सचिव, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
4. डी.जी.एम., बी.एस.एन.एल., जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक
(आयोजना एवं समन्वय)

ddevarshi